अध्याय - 3

3 वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ सक्षम आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दक्ष तथा प्रभावी प्रशासन के लिये महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता तथा सामयिकता अच्छे प्रशासन का द्योतक है। निम्नलिखित अभ्युक्तियों में, दिल्ली सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों की अनुपालना की चर्चा की गई है:

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

सा.वि.नि. का नियम 212 अनुबंधित करता है कि विशेष कारणों के लिए वर्ष के दौरान अदा किए गए अनुदानों के लिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अन्दर अनुदानग्राहियों से विभागीय अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए थे। जबकि, 31 मार्च 2014 तक अदा की गई अनुदानों के संबंध में, ₹ 17,720.49 करोड़ की समुचित राशि के 3761 उ.प्र. 31 मार्च 2015 तक अनुदान ग्रहियों द्वारा नहीं भेजे गए थे। उ.प्र. के प्रस्तुतिकरण में समय-वार लम्बन को तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के समयवार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विलंब की अवधि (वर्षों की संख्या)	कुल दिया गया अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	0-2	863	9684.98	422	3151.59
2	2-4	307	3621.59	299	3524.34
3	4-6	334	3244.23	333	3211.31
4	6-8	1145	2118.35	1145	2118.35
5	8-10	386	1488.59	386	1488.59
6	10 & above	1176	4226.31	1176	4226.31
	कुल	**4211**	**24384.05**	**3761**	**17720.49**

स्त्रोतः भुगतान तथा लेखा कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचनाओं से संकलित

3761 उ.प्र. में से, दो से दस वर्षों के बीच की अवधि के लिए ₹ 13494.18 करोड़ के 2585 (68.73 प्रतिशत) उ.प्र. बकाया थे, जबकि ₹ 4,226.31 करोड़ के 1176 उ.प्र. (31.27 प्रतिशत) उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

मुख्य चूककर्ता शहरी विकास विभाग था जिसका बकाए में ₹ 15,719.64 करोड़ (88.71 प्रतिशत) की भागीदारी थी। दि.न.नि., न.दि.न.पा., दिल्ली विद्युत बोर्ड, एस.डी.आई.आई.डी.सी. ने शहरी विकास विभाग से प्राप्त अनुदानों के उ.प्र. प्रस्तुत नही किये। आगे कला, संस्कृति तथा भाषा विभाग ने भी प्राप्त अनुदानों का उ.प्र. प्रस्तुत नहीं किया।

3.2 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

नि.म.ले.प. को नौ निकायों/ प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा 20 के अंतर्गत सुपुर्द की गई। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने की स्थिति **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाई गई है। नौ[1] निकायों/ प्राधिकरणों में से, केवल छः[2] निकायों/ प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे वर्ष 2013-14 तक प्राप्त हुए।

शेष तीन निकायों/ प्राधिकरणों के 2013-14 तक बकाया वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में मार्च 2015 तक प्राप्त नहीं हुए। इन बकाया लेखों के विवरण **तालिका 3.2** में दिए गए है।

तालिका 3.2

31 मार्च 2015 को बकाया लेखों के ब्यौरे

क्र. सं.	इकाई/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	बकाया लेखों की संख्या	प्राप्त सहायता (₹ करोड़ में)
1	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	2009-10 से 2013-14	5	1350.43
2	दिल्ली अजा./अजजा./ अ.पि.व./ अल्पसंख्यक तथा विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड.	2004-05 से 2013-14	10	–
3	नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान (ने.सु.त.सं.)	2013-14	1	–

[1] दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (ii) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (iii) दिल्ली जल बोर्ड (iv) दिल्ली कल्याण समिति (v) दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (vi) गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (vii) दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक तथा विकलांग वित्तीय तथा विकास निगम लि. (viii) नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान (ix) अम्बेडकर विश्वविद्यालय

[2](i) दिल्ली कल्याण समिति (ii) गुरू गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, (iii) दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (iv) दिल्ली विधिक सेवा आयोग (v) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (vi) अम्बेडकर विश्वविद्यालय

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि तीन निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2013-14 तक के 16 वार्षिक लेखे बकाया थे। दिल्ली अजा./अजजा./अ.पि.व./ अल्पसंख्यक तथा विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के मामले में 2004-05 से 10 वार्षिक लेखे बकाया थे। दिल्ली जल बोर्ड ने 2009-10 से पाँच लेखे प्रस्तुत नहीं किए तथा नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान ने वर्ष 2013-14 के अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए।

3.3 दुर्विनियोजन, हानियाँ तथा गबन इत्यादि

31 मार्च 2015 तक लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 23.30 लाख की चोरी, सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के 24 मामलों का पता चला। लम्बित मामलों की आवधिक रुपरेखा तथा प्रत्येक वर्ग में चोरी और दुर्विनियोजन/हानि में लम्बित मामलों की संख्या जिन्हें इन परिशिष्टों से लिया गया है नीचे **तालिका 3.3** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.3

दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी, गबन इत्यादि की रुपरेखा

लम्बित मामलों की आवधिक रूपरेखा			**लम्बित मामलों की प्रकृति**		
अवधि वर्षों में	**मामलों की संख्या**	**सम्मिलित राशि (₹ लाख में)**	**मामलों की प्रकृति**	**मामलों की संख्या**	**सम्मिलित राशि (₹ लाख में)**
0-5	04	12.92	चोरी	12	0.71
5-10	12	09.89			
10-15	06	0.06	दुर्विनियोजन/ सामग्री की हानि	12	22.59
15-20	02	0.03			
20-25	उ.न.	0.40			
कुल	**24**	**23.30**	**कुल बकाया मामले**	**24**	**23.30**

इन 24 मामलों में से, आठ मामले अस्पतालों से, सात मामले शिक्षा विभाग से, चार मामले दिल्ली जल बोर्ड से हैं।

3.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान ग्यारह व्यक्तिगत जमा खाते महा लेखा नियंत्रक (म.ले.नि.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन उद्देश्यों के साथ खोले एवं प्रचालित किए गए कि जिन भूस्वामियों की भूमि अधिग्रहित की गई है उनको क्षतिपूर्ति तथा भुगतान की राशि, न्यायालयों के आदेशानुसार वादियों के सिविल एवं अपराधिक जमाओं तथा किराए आदि की जमा/निकासी, पेपर बुक

मामलों में संवीक्षा प्रभार की जमा, सुरक्षा प्रभार तथा चुनाव याचिकाओं के शुल्क की प्राप्ति की जा सके। 31 मार्च 2015 को इन 11 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 158.10 करोड़ की राशि बकाया थी ।

3.5 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

प्राप्ति तथा भुगतान नियम का नियम 118 यह दर्शाता है कि प्रत्येक सार आकस्मिक बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए सार आकस्मिक (सा.आ.) बिलों के संदर्भ में विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। किसी भी स्थिति में कोई सार आकस्मिक बिल इस प्रमाणपत्र के बगैर भुनाया नहीं जा सकता।

दस्तावेजों की जाँच से ज्ञात हुआ कि ₹ 1,305.68 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹ 728.60 करोड़ (55.80 प्रतिशत) के वि.आ. बिल प्राप्त किए गए जिस कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 577.08 करोड़ के सा.आ. बिल बकाया थे। वर्षवार विवरण नीचे **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4

सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की प्रस्तुति में विलंब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सा.आ. बिलों की राशि	वि.आ. बिलों की राशि	सा.आ. बिलों की प्रतिशतता में वि.आ. बिल	बकाया सा.आ. बिल
2009-10 तक	129.96	34.81	26.79	95.15
2010-11	43.28	2.83	6.54	40.45
2011-12	56.60	32.80	57.95	23.80
2012-13	214.48	115.27	53.74	99.21
2013-14	411.92	328.29	79.70	83.63
2014-15	449.44	214.60	47.75	234.84
कुल	**1305.68**	**728.60**	**55.80**	**577.08**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सा.आ. बिल पाँच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे । लेखा परीक्षा को सा.आ. बिलों के गैर-समायोजन के कारणों को सूचित नही किया गया था (दिसंबर 2015)। विभिन्न विभागों द्वारा वि.आ. बिलों के गैर-प्रस्तुतिकरण के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि लिया गया फण्ड उसी उद्देश्य पूर्ति के उपयोग में लाया गया था जिसके लिये यह निकाला गया था। इस प्रकार, किसी भी आकस्मिक बिलों के ब्यौरे के अभाव में निधियों के अस्थायी दुरूपयोग की संभावना से इंकार नही किया जा सका था।

3.6 उचंत शेष

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार का कोई पृथक लोक खाता नहीं है तथा इस प्रकार के लेन-देन "संघीय सरकार के खाते" के अन्तर्गत किए जाते हैं। ऐसे सभी लेन-देनों का अन्त में निवारण या तो नकद रुप में वसूली के भुगतान अथवा खाता समायोजन द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में इन्हें उचंत शीर्षो में दर्ज किया जाता है जिनका अल्प अन्तरालों में पुनरीक्षण किया जाता हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित रूप से आवश्यकता से अधिक समय तक कोई मद असमायोजित न रहे तथा प्रत्येक मामले में लागू नियमों के अनुसार इसका समाशोधन सामान्य प्रकार से हो। लेखा परीक्षा में देखा गया कि पब्लिक सैक्टर बैंकों (पी.एस.बी.) के उचंत शेष की बढ़ोतरी के कारण 2013-14 वर्ष के दौरान शीर्ष के तहत बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई जिसका 2014-15 में निपटान कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए लोक लेखा (केन्द्रीय) में ऐसे लेन देनों की जांच से पता चला कि 31 मार्च 2015 को ₹ 254.76 करोड़ की राशि बकाया थी जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5

उचंत शीर्षं के अन्तर्गत राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	निवल जोड़(+)/निपटान(-)	अन्त शेष
2010-11	101.02	(+) 57.79	158.81 (डेबिट)
2011-12	158.81	(+) 56.81	215.62 (डेबिट)
2012-13	215.62	(+) 58.16	273.78 (डेबिट)
2013-14	273.78	(+) 877.87	1151.65 (डेबिट)
2014-15	1151.65	(-) 896.89	254.76 (डेबिट)

31 मार्च 2015 को विभिन्न उचंत शीर्षं के अन्तर्गत शेषों का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखों के शीर्षों के नाम	राशि
वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत खाता (101)	66.50 (डेबिट)
नकद परिशोधन उचंत लेखा (न.प.उ.ले.)(107)	181.75 (डेबिट)
भविष्य निधि उचंत लेखा (113)	0.09 (डेबिट)
सामग्री क्रय उचंत लेखा(सा.क्र.उ.ले.) (129)	14.35 (क्रेडिट)
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत लेखा (108)	20.87 (डेबिट)
उचंत लेखा (सिविल)(102)	0.10 (क्रेडिट)
कुल	**254.76 (डेबिट)**

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (अक्टुबर 2015) कि "नकद परिशोधन उचंत लेखों" (न.प.उ.ले.) शीर्ष के अन्तर्गत बकाया राशि का मुख्य भाग पी.ए.ओ. (एनएस), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.मं.), भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस से संबंधित है तथा न.प.उ.ले. के अन्तर्गत बकाया शेषों के परिशोधन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लो.नि.वि. के मुख्य अभियन्ता के साथ मामला उठाया गया। यह कहा गया कि लो.नि.वि. द्वारा दिल्ली पुलिस के कार्यों का निष्पादन मुख्य शीर्ष - 8658 न.प.उ.ले. के प्रचालन द्वारा किए जाने के तरीके को जारी नहीं रखा गया तथा अब कार्य को निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादित कराया गया। सभी पी.ए.ओ. को बकाया बाहय दावों की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई के अनुदेश दिए गए थे । इससे आगे पुनः उत्तर दिया गया कि जनवरी 2009 से कोर बैंकिग प्रणाली के आरंभ होने से सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत में अधिक मात्रा में शेष संचित हुए थे। शेषों के परिसमापन का मामला प्रबलता के साथ विभाग ने सम्बन्धित पी.ए.ओ. के समक्ष उठाया है।

3.7 निष्कर्ष

विभिन्न अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने में काफी देर हुई जिसके कारण अनुदान का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। 3761 बकाया उ.प्र. में से ₹ 4,226.31 करोड़ के 1176 (31.27 प्रतिशत) उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे। 9 निकायों/प्राधिकरणों में से तीन निकायों/प्राधिकरणों के 2013-14 तक बकाया 16 वार्षिक लेखे मार्च 2015 तक प्राप्त नहीं हुए थे। राज्य सरकार के विभागों ने दुरुपयोग, हानि, चोरी, गबन इत्यादि के 24 मामलों की सूचना दी थी जिसमें मार्च 2015 तक ₹ 23.30 लाख की सार्वजनिक राशि सम्मिलित थी। इन मामलों में अन्तिम कार्रवाई शेष थी। 31 मार्च 2015 तक उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 254.76 करोड़ के बड़े अधिशेष थे जिनका तुरंत निपटान तथा उपयुक्त लेखा शीर्षों में वर्गीकरण किया जाना आवश्यक था।

3.8 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है :

(i) सरकारी विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि उ.प्र. के समयानुसार प्रस्तुति पर निगरानी रखी जा सके तथा पूर्व अनुदानों के उ.प्र. की प्राप्ति के बाद ही आगे अनुदान जारी किए जाए ;

(ii) स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति को तीव्र करने के लिए किसी प्रणाली को अपनाने के विषय में;

(iii) दुर्विनियोजन, चोरी एवं हानि के मामलों में कार्यवाही हेतु समयबद्ध रूपरेखा तैयार की जाए। तथा

(iv) उचंत शीर्ष का तुरंत निपटान तथा उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत उनका वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतु आवधिक समीक्षा किया जाना।

प्रतिवेदन में सम्मिलित उपरोक्त बिन्दुओं को सरकार को जारी किया गया (जनवरी 2016), उत्तर प्रतिक्षित।

नई दिल्ली
दिनांकः

(डौली चक्रबर्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक